न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौडा, जिला गुना म.प्र.
(समक्ष— अंजना यादव)

Registration No.RCT / 565/2022
Filing No.: RCT /1275/ 2022
CNR No.MP0807-001441-2022
Filing Date 11-10-2022

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा, थाना कुम्भराज,
जिला गुना म0प्र0

————————**अभियोजन।**

// विरूद्ध //

भगवानसिह मीना पुत्र रामचरण मीना
उम्र—45 वर्ष,निवासी—वार्ड नं0—07 कुंभराज,
थाना कुंभराज जिला गुना म.प्र.।

————————**अभियुक्त।**

———————————————————————————————

आरक्षीकेन्द्र कुम्भराज, जिला गुना के अपराध क0—244 / 2022, अपराध अंतर्गत धारा 34(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से उद्भूत प्रकरण।

———————————————————————————————

—:: निर्णय ::—
(आज दिनॉक 11.10.2022 को घोषित)

1— अभियुक्त पर म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 27.09.2022 को समय लगभग 22:05 बजे से 22:25 बजे तक थाना कुंभराज से 02 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में सानई रोड ईट भटटों के पास कुंभराज अंतर्गत थाना कुंभराज पर एक सफेद प्लास्टिक की केन में हाथ भटटी से निर्मित कच्ची शराब 05 लीटर कीमती करीबन 1,000 / —रूपये को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखी ।

2— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.09.2022 को थाना कुम्भराज में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ देवेन्द्र सिकरवार को दौराने कस्बा भ्रमण साहू मोहल्ला पहुंचा जरिये मोबाईल मुखबिर द्वारा सूचना मिली की सानई रोड ईट भटटों के पास एक व्यक्ति सफेद रंग की केन में हाथ भटटी की बनी कच्ची शराब बेचने के लिये खड़ा है। उक्त सूचना से हमराही आर को अवगत कराया एवं राहगीर रामसेवक को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति एक में सफेद केन लिये दिखा जिसे पकडकर नाम पता

पूछा तो उसने अपना नाम भगवान सिंह पुत्र रामचरण मीना उम्र—45 वर्ष, निवासी गुरूमहाराज मंदिर के पास कुंभराज का होना बताया जिसके कब्जे से केन लेकर केन का ढक्कन खोलकर देखा,सूंघा तो शराब की गंध आयी स्वंय देखा व हमराही आर व पंचान को दिखाया, सूंघाया शराब होने का पूर्ण विश्वास होने पर उससे शराब रखने का लायसेंस के सम्बंध में पूछा तो नहीं होना बताया उसका कृत्य 34(1) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से केन को विधिवत समक्ष पंचान रामसेवक उर्फ पप्पू पुत्र मांगीलाल व हमराही आर 862 अनिल चतुर्वेदी के समक्ष विधिवत उसके कब्जे से सफेद रंग की पांच लीटर की केन जिसमें उपर तक हाथ भटटी की बनी कच्ची शराब पांच लीटर भरी हुयी कीमती एक हजार रूपये को विधिवत जब्त कर जब्ती पत्रत तैयार किया एवं उक्त आरोपी के द्वारा घटित अपराध धारा— में 7 वर्ष से कम सजा होने से आरोपी को न्यायालय में उपस्थिति हेतु धारा—41क जा.फौ. का नोटिस तामील कराया गया आरोपी के धारा 34(1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं मौके की समस्त कार्यवाही मोबाईल व टार्च के उजाले में की गयी। बाद मौके की कार्यवाही कर मय जब्तशुदा शराब एंव हमराह स्टाफ के वापस थाना आया वापसी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं अन्य आवश्यक विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

3— अभियुक्त को कंडिका क्रमांक 1 के अनुसार अपराध की विशिष्टियॉ पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध किया जाना स्वीकार किया गया।

4— <u>अभियुक्त के आपराधिक दायित्व का निर्धारण करने हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :—</u>

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.09.2022 को समय लगभग 22:05 बजे से 22:25 बजे तक थाना कुंभराज से 02 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में सानई रोड ईट भटटों के पास कुंभराज अंतर्गत थाना कुंभराज पर एक सफेद प्लास्टिक की केन में हाथ भटटी से निर्मित कच्ची शराब 05 लीटर कीमती करीबन 1,000 / —रूपये को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखी?

—:सकारण निष्कर्ष:—

5— अभियुक्त ने दिनांक 27.09.2022 को समय लगभग 22:05 बजे से 22:25 बजे तक थाना कुंभराज से 02 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में सानई रोड ईट भटटों के पास कुंभराज अंतर्गत थाना कुंभराज पर एक सफेद प्लास्टिक की

केन में हाथ भटटी से निर्मित कच्ची शराब 05 लीटर कीमती करीबन 1,000/—रूपये को बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखी , जो मानव उपयोग के लिये अनुपयोगी पायी गयी, दर्शित होती है। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन की ओर से पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध करना स्वीकार किया गया है। अतः उसकी स्वीकारोक्ति को स्वेच्छया पाते हुये अभियुक्त को धारा 34(1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। सभी तथ्यों एवं प्रकरण की सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा—34(1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं **700/—(सात सौ रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने की दशा में अभियुक्त को दस दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

6— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक सफेद प्लास्टिक की केन में हाथ भटटी से निर्मित कच्ची शराब पांच लीटर कीमती करीबन 1,000/— रूपये मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावें।

7— अभियुक्त अनुसंधान एवं विचारण लंबित रहने के दौरान निरोध में नहीं रहा है। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र तैयार कर एक प्रति प्रकरण में संलग्न की जाये।

8— निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे।

स्थानः— चांचौड़ा।
दिनांकः—11.10.2022

निर्णय खुले न्यायालय में दिनॉकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

सही/—
{अंजना यादव}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चांचौड़ा जिला गुना (म0प्र0)

सही/—
{अंजना यादव}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चांचौड़ा जिला गुना (म0प्र0)